सं. डब्लू- 11042/21/2014- एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव - ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी
सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

विषय:- ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में स्वच्छता कवरेज के संबंध में

महोदय/महोदया,

कृपया सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के दिनांक 09.10.2012 के अ.शा. पत्र सं. डब्लू- 11042/73/2011- जल-II की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें सचिव महोदय ने राज्य के सभी मुख्य सचिवों को सम्बोधित करते हुए दिनांक 31.02.2013 तक सभी स्कूलों में पीने का साफ पानी एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

2. आप से अनुरोध किया जाता है कि वे शौचालयों की सुविधाओं से रहित विद्यालयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु राज्य के स्कूली शिक्षण विभागों के साथ मिलकर कार्य करें और इस प्रकार की सुविधाओं से रहित स्कूलों की कवरेज को, शिक्षा विभाग के साथ समन्वयन करके एवं बिना किसी दोहराव एवं विलंब के, सुनिश्चित करें।

3. आप से यह भी अनुरोध कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन कि स्थिति की सूचना दिनांक 15 जून, 2014 तक इस मंत्रालय को प्रेषित करें।

आपका,

सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)

प्रति

1. टीडी (एनआईसी) वैबसाइट में डालने हेतु
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव